डीएम को नहीं सीधे शहरी निकायों को जाएगा पैसा

D.J. 8-11-12

- निकायों को 15 दिनों में खाता खोलने का निर्देश
- पिछले साल तमादी हो गये थे 29 करोड़

जागरण ब्यूरो, पटना : तेरहवें वित्त आयोग की राशि हो या चौथे राज्य वित्त आयोग की राशि अब यह जिलाधिकारी के बदले सीधे शहरी निकायों के खाते में जाएगी। बुधवार को नगरपालिका अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान नगर विकास एवं आवास मंत्री डा. प्रेम कुमार ने विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया।

बैठक के बाद नगर विकास मंत्री ने बताया कि जिलाधिकारियों के पास काफी काम होते हैं। नगर निकायों की राशि उनकी प्राथमिकता सूची में नहीं होती। नतीजतन डीएम के काउंटर साइन के अभाव में लंबे समय तक राशि पड़ी रह जाती है।

उन्होंने बताया कि बीते वर्ष में 28 नगर निकायों के लिए तेरहवें वित्त आयोग से आयी 29 करोड़ की राशि लैप्स कर गई क्योंकि डीएम का काउंटर साइन नहीं हो पाया था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक-दो दिनों के भीतर निकायों को पत्र भेजें कि वे तेरहवें एवं चौथे राज्य वित्त आयोग की राशि लेने के लिए निकाय का अलग बैंक खाता 15 दिनों के भीतर हर हाल में खोल लें। अगर पहले से खाता खुला है तो उसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करा दें।

डीएम को सिर्फ राशि भेजने की सूचना उपलब्ध करा दी जाए। 13 वें वित्त आयोग के पैसे का 50 फीसद कचरा प्रबंधन और शेष राशि रैन बसेरा, वृद्धाश्रम आदि पर खर्च करने का प्रावधान है जबकि चौथे राज्य वित्त आयोग से मिलने वाले पैसे में से 50 फीसद राशि निकाय कर्मियों के वेतन-पेंशन और 50 फीसद राशि पार्किंग, स्ट्रीट लाइट तथा विकास के अन्य मदों में खर्च करने का प्रावधान है। समय पर पैसे उपलब्ध नहीं होने से काम प्रभावित होता है।

दूसरे काम में न लगाएं निकाय कर्मियों को

बैठक में शिकायत आई कि निकाय के कर्मी तीन-चार महीने तक काम ही नहीं कर पाते। राशन-किरासन, आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नगर शिक्षकों की स्थापना जैसे काम मिल गए हैं, मिलते हैं। फलतः निकाय के कर्मी मूल काम से वंचित रह जाते हैं। मंत्री ने इस पर निर्देश दिया कि विभाग इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र लिखे कि विशेष परिस्थिति में ही निकायों के कर्मियों का इस्तेमाल करे। और इसके लिए पहले विभाग से अनुमति ले लें।